ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान
निमोरा, जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन–492015

फोन नं. 0771–2473204, 2473206, फैक्स : 0771–2473214, E-mail : ps.cird@nic.in, Website: www.cgsird.gov.in

// निविदा आमंत्रण //

क्रमांक/30/स्था/ठा.प्या.रा.पं.ग्रा.वि.सं./2021 निमोरा, रायपुर दिनांक 06/01/2021

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में सुरक्षा गार्ड सेवा वर्ष 2020–21 हेतु **01 वर्ष के लिये** निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय पर कार्यालय में अथवा वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 500/– है, जिसे नगद अथवा राष्ट्रीकृत/शेड्यूल बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त कर सकता है, जो वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर फार्म भरेंगे उन्हें 500/– का ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर के नाम से देय होगा एवं यह राशि वापसी नहीं होगी।

	निविदा प्रपत्र बिक्री प्रारंभ की तिथि	दिनांक 10.01.2021 से 09.02.2021 तक	समय 10.00 से 05.00 बजे
	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10.02.2021	दोपहर 12.00 बजे
	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 10.02.2021	सायं 03.00 बजे
स्थान :– ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का सभा कक्ष			

2. निविदा हेतु शर्ते :–

1. संस्थान परिसर एवं NH-30 तक कनेक्टिंग लिंक रोड तक एवं रूरल टेक्नोलॉजी पार्क का सुरक्षा कार्य।
2. पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम 08 पुरूष एवं 04 महिला सुरक्षा गार्ड संस्थान एवं संस्थान की अधोसंरचना की सुरक्षा हेतु प्रावधानित करेंगे।
3. सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से आईडी कार्ड एवं निर्धारित ड्रेस कोड में रहेंगे।
4. कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा एवं बचाव एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों (SOP) का पालन करेंगे।
5. संस्थान परिसर की सुरक्षा एवं रूरल टेक्नोलॉजी पार्क का सुरक्षा कार्य शामिल होगा।
6. संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार में सुरक्षा प्रहरी का कार्य।
7. संस्थान के कार्यालयीन एवं आवासीय प्रक्षेत्र का सुरक्षा कार्य।
8. संस्थान परिसर के उद्यान का सुरक्षा कार्य।
9 संस्थान की परिसम्पति का सुरक्षा कार्य।
10. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में वांछित सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय पाए जाने पर ही वित्तीय निविदा वाला दूसरा लिफाफा खोला जायेगा।

11. निविदाकार के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है, अथवा किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों में दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो ऐसे वेन्डर की निविदा विचार योग्य नही होगी।
12. निविदाकार के विरूद्ध किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही लंबित हो अथवा किसी ठेकेदारी कार्य के लिए ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तो ऐसे निविदाकार विचार योग्य नही होगें।
13. इच्छुक निविदाकार द्वारा रु. 500/– नगद अथवा राष्ट्रीकृत/शेड्यूल बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के उपरांत ही कार्यालय में निविदा प्रपत्र स्वीकार किया जा सकेगा। निविदाकार द्वारा निविदा तीन अलग–अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफा के ऊपर वित्तीय निविदा लिखा जायेगा। दोनों लिफाफे एक बड़ा लिफाफे के भीतर रखकर सीलबंद कर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के निविदा बाक्स में डाला जायेगा अथवा स्पीड पोस्ट से ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को भेजा जायेगा, परन्तु ध्यान रहे कि जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी, उसे नहीं खोला जावेगा।

(अ) तकनीकी निविदा की पात्रता हेतु शर्त :–लिफाफा तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ' में निम्नलिखित अभिलेख रखें जावेंगें तथा इस लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" लिखा जावेगा।

1. अमानत राशिा रू 1,00000/–(रू. एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट (शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी) संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर के नाम से देय होगा।
2. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड नम्बर की छायाप्रति।
3. PF ESIC की प्रमाणित प्रति।
4. प्राइवेट सिक्युरिटी एक्ट के अतंर्गत जीवित पंजीयन।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी जीएसटी पंजीयन की छायाप्रति।
6. निविदाकार की फर्म/समिति/सोसाईटी का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. वेंडर को रू. 100/–के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर्स पर नोटरी द्वारा सत्यापित (संलग्न प्रपत्र में) शपथ पत्र।
8. शासकीय/अर्धशाासकीय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्य अनुभव (न्यूनतम 02 वर्षों) प्रमाण पत्र।
9. टर्न ओवर विगत तीन वर्षो (वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) का, जिसमें से किसी एक वर्ष का न्यूनतम, 10 लाख। (C.A. द्वारा प्रमाणित)
10. आयकर विवरण 03 वर्ष का। (वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20) वर्ष का उल्लेख।

टीप :– तकनीकी निविदा वाले लिफाफा प्रपत्र (अ) को पहले खोला जायेगा तथा वांछित अमानत राशि एवं अर्हता संबंधी उपरोक्त सभी 10 दस्तावेज प्रस्तुत होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात वित्तीय निविदा प्रपत्र (ब) खोला जायेगा। तकनीकी निविदा मे अर्हता प्राप्त नही करने वाले निविदाकार स्वतः अपात्र होंगें।

(ब) वित्तीय निविदा :–

दूसरे लिफाफे के उपर वित्तीय निविदा लिखा जायेगा एवं इस लिफाफें में प्रपत्र 'ब' में सुरक्षा कार्य की व्यवस्था की मासिक दर की जानकारी अंकों एवं शब्दों में अंकित की जाकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदा की अन्य शर्तेः–

1. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, उसे नहीं खोला जाएगा।
2. निविदा जमा करने का तात्पर्य यह माना जायेगा कि वेंडर को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जारी निविदा की सभी शर्ते मंजूर है। वेंडर द्वारा निविदा प्रपत्र में पृथक से जोड़ी गई किसी भी अन्य शर्तो को मान्य नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र का कोई भी कालम खाली न छोड़ा जावे अन्यथा निविदा निरस्त की जायेगी।
4. शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेट वेंडर/संस्था में बीच में ही कार्य छोड़कर चले जाने वाले अथवा कार्य प्रारम्भ न करने वाले वेंडर विचार योग्य नहीं होगें।
5. शासन द्वारा निर्धारित अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अन्य श्रमिक कर्मियों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर की निविदा ग्राह्य नहीं होगी।
6. बिना कारण बतायें निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर का होगा।
7. वेन्डर द्वारा प्रस्तुत दर में शासन को देय तत्समय लागू समस्त कर एवं शुल्क EPF, ESI इत्यादि (जीएसटी छोड़कर) शामिल कर निविदा प्रस्तुत किया जावे। प्रस्तुत दर में नियमानुसार GST के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जाएगा।
8. वेंडर को सुरक्षा कार्य हेतु सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. वित्तीय निविदा में 12 कर्मियों हेतु देय कुल मासिक दर शामिल करें।

अनुबंध का निष्पादन :–

1 वेन्डर को संस्थान परिसर की सुरक्षा एवं रूरल टेक्नोलॉजी पार्क का सुरक्षा कार्य स्वीकृत होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 100/– रूपये का नॉन–ज्युडिशियल स्टांप पेपर में कार्य की शर्तों का पालन हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

2 सफल निविदाकार को अनुबंध निष्पादन के साथ सुरक्षानिधि के रूप में रू. 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा के नाम से जमा करना होगा। अनुबंध की शर्तो की पूर्ति ना होने की स्थिति में सुरक्षानिधि आंशिक/पूर्ण रूप से राजसात की जायेगी।

3 संस्थान परिसर की सुरक्षा एवं रूरल टेक्नोलॉजी पार्क का सुरक्षा कार्य का अनुबंध निष्पादित होने की **तिथि से 01 वर्ष की अवधि** के लिए होगा। इसे दोनो पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह की पूर्व सूचना पर भंग किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में अनुबंध निरस्त होने के पश्चात नवीन अनुबंध होने एवं उसके क्रियाशील होने तक वर्तमान अनुबंधकर्ता को सुरक्षा सेवा प्रदाय करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि आंशिक/पूर्ण रूप से राजसात की जायेगी। संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात वेंडर अनुबंधकर्ता कहलाएगा।

4 अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की **अवधि आगामी 01 वर्ष तक के लिये** अधिकतम 10% वृद्धि के साथ प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा। तथापि किसी भी स्थिति में निविदा की अवधि अनुबंध अवधि 03 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ायी जा सकेगी।

चयन का आधार :–

(अ) वेंडर द्वारा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा को उपलब्ध कराए जाने वाले कुल 12 कर्मियों के लिए प्रस्तुत न्यूनतम मासिक दर।

(ब) 2 या 2 से अधिक वेंडर द्वारा प्रस्तुत दर एक समान प्राप्त होने की स्थिति में वेंडर के शासकीय/अर्धशाासकीय/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्य अनुभव के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) अनुबंधकर्ता द्वारा अपने नियोजित कर्मचारियों को एक समान दो जोडी वर्दी (जिस पर कर्मचारी का नाम उल्लेखित होगा) तथा जूते मोजे, टार्च, लाठी, छाता, रेनकोट एवं अन्य आवश्यक सामग्री दी जायेगी जिसे पहनकर वे कार्य पर आयेंगे। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को पहचान पत्र जारी किया जायेगा जिसके साथ ही कर्मचारी संस्थान परिसर मे प्रवेश करेंगे।

1. अनुबंधकर्ता कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की प्रस्तावित सूची संस्थान को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य रखेगा।
2. अनुबंधकर्ता बिना पूर्व सूचना के अपने कर्मियों का बदलाव नही करेगा।
3. अनुबंधकर्ता किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के कर्मियों को कार्य पर नही रखेगें, आवशयक होने पर उनका पुलिस वेरीफिकेशान कराया जायेगा। वेंडर द्वारा नियोजित कर्मियों का नाम तथा पते की जानकारी एवं पहचान पत्र की छायाप्रति सहित संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को कार्य प्रारंभ करने की तिथि में उपलब्ध कराना होगा।
4. अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी अनुशासित तथा ईमानदार होगें। संस्थान द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य में लापरवाही बरतने अथवा अन्य किसी कारणों से उसे बदलने के निर्देश पर अनुबंधकर्ता उसे बदलने हेतु बाध्य होगा।
5. अनुबंधकर्ता को शासकीय नियमों तथा श्रम नियमों का पालन करना होगा।
6. अनुबंधकर्ता कोई सब–कांट्रेक्टर नही रख सकेगा।
7. अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी पूर्णतः अनुबंधकर्ता के ही कर्मचारी कहलाएँगें जिन्हें किसी प्रकार का नियोजन संबंधी दायित्व ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का नही होगा।
8. अनुबंधकर्ता अपने द्वारा नियोजित कर्मी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी/वेतन के भुगतान हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा तथा मजदूरी/वेतन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को भुगतान करना होगा।
9. अनुबंधकर्ता द्वारा मासिक देयक के साथ माह में कार्य कर रहें, कर्मियों की हाजरी पंजी की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जायेगी । जो कि 12 मानव दिवस प्रतिमाह से कम नही होनी चाहिए, अन्यथा आनुपातिक रूप से कम भुगतान किया जायेगा, तथा कार्य पर से अनुपस्थित कर्मियों का, प्रति मानव दिवस की दर से अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटा जायेगा।
10. अनुबंधकर्ता प्रतिमाह 01 तारीख को देयक प्रस्तुत करेगा। जिसका भुगतान अधिकतम एक माह के भीतर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया जावेगा।

11. संस्थान के अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर कोई कमी पायी गई तो अनुबंधकर्ता कमी को दूर करने हेतु बाध्य होगा।
12. कार्य के दौरान अनुबंधकर्ता अथवा उसके कर्मियों के द्वारा शासकीय संपत्ति, संस्था के बगीचे, फुल पौधे आदि को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। शासकीय संपत्ति का नुकसान पाये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा नुकसान हेतु निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु अनुबंधकर्ता बाध्य होगा। जिसकी वसूली अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक से की जावेगी।
13. अनुबंधकर्ता के नियोजित कर्मियों का यदि किसी योजना में बीमा नही हुआ हो तो अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अतंर्गत सभी कर्मियों का बीमा करवायेगा।
14. अनुबंधकर्ता पर समय–समय पर संस्थान द्वारा जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होगें।
15. अनुबंधकर्ता द्वारा ठेका अवधि के बीच में कार्य छोड़ देने पर उसके द्वारा जमानत के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा।
16. अनुबंधकर्ता द्वारा सुरक्षा कार्य में लापरवाही बरतने अथवा कार्य में अनियमित्ता पायी जाने, अथवा अनुबंध के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी, तथा अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक से राशि की कटौत्री की जावेगी. तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रथम बार चूक पर रूपये 1000/–(रू. एक हजार मात्र) एवं द्वितीय चूक पर रूपये 2000/–(रू. दो हजार मात्र) होगी तथा पुनः पुनरावृत्ति होने एवं कार्य संतोषजनक नही पाए जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
17. अनुबंधकर्ता को प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली बैठकों में अथवा आवश्यकतानुसार बुलाई गई बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बैठक में उपस्थित नही होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
18. निविदा को बगैर कारण बताएँ स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर का होगा।

19 किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

6.1.2024

संचालक
ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण
विकास संस्थान
निमोरा, रायपुर (छ.ग.)

तकनीकी निविदा

// प्रपत्र – अ //

ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में सुरक्षा गार्ड सेवा के लिये निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।

1. सिक्यूरिटी सर्विस/कंपनी/एजेन्सी : .....
   का पूरा नाम (बडे अक्षरों में) : .....
2. पूर्ण पता : .....
   : .....
   : .....
   टेलीफोन/मोबाइल/ई–मेल/फैक्स : .....
   : .....
3. वर्ष/सिक्यूरिटी सर्विस/कंपनी : .....
   एजेन्सी कब से गठित है। लाइसेन्स / रजि.नं.: .....
   : .....
4. न्यूनतम 02 वर्षो का कार्य का अनुभव के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें। विशेष रुप से जहॉ सेवाएँ प्रदाय की है उनके : .....
   नाम/पता/टेलीफोन इत्यादि के साथ : .....
   जानकारी/कार्यादेश की प्रति संलग्न करे। : .....
5. सुरक्षा निधि जमा संबंधी विवरण, डी.डी. संलग्न करें। : .....
6. अधोसंरचना की जानकारी कितने व्यक्ति किस किस पद पर कार्यरत है। शैक्षणिक योग्यता आदि का विवरण दें। : .....
7. उपलब्ध सुरक्षा सामग्रियों/उपकरणों की सूची : .....
   नियत प्रपत्र अ–1 में संलग्न करें। : .....
8. व्यवसाय से संबंधित 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति/ : .....
   एजेन्सी/सिक्यूरिटी सर्विस के प्रमाण पत्र : .....
   एवं पता/टेलीफोन नं. : .....
   : .....
9. (1) विगत 3 वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रति : .....
   (2) पेन नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि : .....
   (3) 3 वर्षों का टर्न ओवर (चार्टेड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित प्रति) : .....
   (4) GSTN की प्रमाणित प्रतिलिपि : .....
   (5) प्राइवेट सिक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन की प्रमाणित प्रति। : .....
   (6) PFESIC की प्रमाणित प्रति। : .....

(हस्ताक्षर)

नाम .....

***सील अंकित करें।**

// शपथ पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर जो जानकारी दी गई है वह सही है। यदि सुरक्षा सर्विस देने हेतु मेरी निविदा दर न्यूनतम पायी जाती है, किन्तु निविदा प्रपत्र में भरी गयी जानकारी गलत पायी जाती है, तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

निविदा स्वीकृति के पश्चात् मै यदि कार्य बीच में छोड़ देता हूँ या किसी उचित कारण से बाद में मेरी निविदा बीच में ही संस्थान द्वारा समाप्त कर दी जाती है, एवं मेरे द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की राशि रु. 100000/– जप्त कर ली जाती है एवं शेष अवधि के लिये कार्य मेरे निकटतम निविदाकार को दे दिया जाता है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

(हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

.....

***सील अंकित करें।**

वित्तीय निविदा

// निविदा प्रपत्र – ब //

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में प्रतिदिन (24 घंटे) सुरक्षा गार्ड की सेवा प्रदाय करने हेतु मैं/हम सहमत हैं/हूँ। मैने/हमने इस सेवा के लिये निर्धारित नियम शर्तो का भली भॉति अध्ययन कर लिया है। जिससे मैं/हम पूर्णतः सहमत हूँ/है।

सुरक्षा गार्ड की सेवा हेतु प्रतिदिन 8–8 घंटे की पाली पर एवं संस्थान द्वारा वांछित समयों में कुल ..... सुरक्षा कर्मियों की दर प्रस्तावित की जाती है। इस दर में समस्त कर सम्मिलित है, तथा जो कर मुझे/हमें देय होगा उसका वहन मेरे/हमारे द्वारा किया जाएगा।

दर

दर – एक गार्ड	दर – कुल (12) गार्ड
अंकों में	अंकों में .....
शब्दों में	शब्दों में .....

(हस्ताक्षर)

नाम .....
पूर्ण पता .....
.....
.....

***सील अंकित करें।**